**भारत सरकार**

**सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1081**

**उत्‍तर देने की तारीख 19.12.2018**

**खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से रोज़गार सृजन**

**1081. मीर मोहम्मद फ़ैयाजः**

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान करोड़ों लोगों हेतु रोज़गार सृजन के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रारंभ की गई योजनाओं के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव द्वारा जम्मू और कश्मीर सहित लाभ प्राप्त करने वाले संभावित राज्य कौन-कौन से हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री गिरिराज सिंह)**

**(क) से (ग):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में रोजगार के सृजन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा हैः

**i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

**ii) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए)-**  बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम बनाई गई है। आधारभूत सुविधा के नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन नेटवर्क बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच मूल लागत की 30% वितरित की जाती है।

**iii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आइसेक)** स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान है। संस्थाओं को मात्र 4% ब्याज देना होता है। बैंकों द्वारा 4% से अधिक प्रभारित किसी ब्याज को केवीआईसी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बैंकों को भुगतान किया जाएगा।

**: 2 :**

**iv) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम** खादी संस्थाएं जिनसे खादी कारीगर जुड़े हुए हैं, के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित खादी कारीगरों को वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 2008-09 में शुरू की गई थी। यह वृद्धि, आय सृजन तथा बेहतर कार्य वातावरण के लिए निरंतर पथ तैयार करने के लिए खादी स्पिनरों एवं बुनकरों को सशक्त बनाता है।

**v) कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधा का सुदृढ़ीकरण एवं विपणन आधारभूत सुविधा के लिए सहायताः** इस स्कीम में ‘घ’ से ‘ग’ श्रेणी में उन्नत रूग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं तथा वे जिनका उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार कम होते आ रहे हैं जबकि उनके पास सामान्यता(नॉर्मलसी) प्राप्त करने की संभावना है, का पालन-पोषण करने एवं अन्य चिन्हित बिक्री केन्द्रों में विपणन आधारभूत सुविधा के सृजन की सहायता हेतु खादी क्षेत्र के लिए आवश्यकता आधारित सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी आधारभूत सुविधा के सुदृढ़ीकरण एवं चयनित खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

**vi) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)** का उद्देश्य खादी की वृद्धि को निरन्तर बनाए रखने, स्पिनरों एवं बुनकरों की आय मे बढ़ोत्तरी और रोजगार में बढ़ोत्तरी करने, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र को पुनर्जीवित करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। केआरडीपी के अंतर्गत 105 मिलियन अमरीकी डॉलर की पुनर्संरचित राशि का एशियन विकास बैंक (एडीबी) से प्रबंध किया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से बजटीय आवंटन के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में केवीआईसी को जारी किए जाने के लिए भारत सरकार को निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सुधार सहायता पर विचार किया गया है।

**vii) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)** परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 में शुरू की गई थी। इस स्कीम उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी), उत्पाद विकास, गुणवत्ता में सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है।

**viii) हनी मिशनः** केवीआईसी ने देश के मधुमक्खी पालक संभावित राज्यों में मधुमक्खी पालन और रोजगार सृजन के लिए जुलाई, 2017 में हनी (बी) मिशन शुरू किया था। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं युवाओं की आय बढ़ाना, मधुमक्खी पालको में सहयोग बढ़ाना और हनी उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना और देश में मधुमक्खी उद्योग का विकास करने के लिए मधुमक्खी पालकों, किसानों, अनुसंधान कर्ताओं, सरकारी एजेंसियों, कृषि व्यवसाय को एक साथ लाना है।

उपर्युक्त के अलावा, केवीआईसी विभिन्न ग्रामोद्योगों नामतः मिट्टी के बर्तन पालिमर और रसायनिक आधारित, कृषि आधारित, हस्तनिर्मित कागज और फाइबर आधारित, मधुमक्खी पालन तथा अन्य वन आधारित कार्यकलापों के विकास के लिए अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप भी कार्यान्वित करता है।

: 3 :

पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार निम्नलिखित हैः

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | केवीआई के अंतर्गत संचयी रोजगार **(व्यक्ति लाख में)** |
| 2015-16 | 137.83 |
| 2016-17 | 136.40 |
| 2017-18 | 140.36 |

केवीआईसी जम्मू और कश्मीर राज्य सहित एकीकृत रूप में देश भर में उपर्युक्त कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। पिछले तीन वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के माध्यम से राज्यवार स्थापित इकाइयों और सृजित रोजगार तथा वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। केवीआईसी के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र से पॉलि वस्त्र और सोलर वस्त्र कारीगरों, संचयी रोजगार सहित खादी कारीगरों की राज्यवार वर्तमान संख्या तथा स्फूर्ति स्कीम से लाभान्वित कारीगरों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

\*\*\*\*\*\*\*

अनुबंध**-I**

दिनांक 19.12.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1081 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान **पीएमईजीपी स्कीम** के अंतर्गत सृजित रोजगार, स्थापित इकाइयों की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **2015-16** |  | **2016-17** |  | **2016-17** |
| **क्र.**  **सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **सहायता प्राप्त परियोनाओं की संख्या** | **अनुमानित सृजित रोजगार** (व्यक्तियों की संख्या) | **सहायता प्राप्त परियोनाओं की संख्या** | **अनुमानित सृजित रोजगार** (व्यक्तियों की संख्या) | **सहायता प्राप्त परियोनाओं की संख्या** | **अनुमानित सृजित रोजगार** (व्यक्तियों की संख्या) |
| **1** | जम्मू और कश्मीर | **2207** | **12115** | **1492** | **11691** | **3753** | **30024** |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | 1077 | 5134 | 941 | 6916 | 886 | 7088 |
| 3 | पंजाब | 966 | 7762 | 1266 | 9858 | 1520 | 12160 |
| 4 | संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ | 43 | 323 | 47 | 376 | 45 | 360 |
| 5 | उत्तराखंड | 1136 | 6161 | 1345 | 9890 | 1613 | 12904 |
| 6 | हरियाणा | 1248 | 7232 | 1377 | 11016 | 1718 | 13744 |
| 7 | दिल्ली | 256 | 2048 | 119 | 952 | 115 | 920 |
| 8 | राजस्थान | 1988 | 14537 | 1749 | 13408 | 1577 | 12614 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 4365 | 43059 | 4074 | 36315 | 5432 | 43456 |
| 10 | बिहार | 2430 | 19624 | 3234 | 25872 | 2307 | 18456 |
| 11 | सिक्किम | 110 | 397 | 27 | 201 | 37 | 296 |
| 12 | अरुणाचल प्रदेश | 35 | 104 | 301 | 1984 | 209 | 1672 |
| 13 | नागालैंड | 623 | 4998 | 1018 | 7783 | 930 | 7440 |
| 14 | मणिपुर | 685 | 2715 | 1265 | 8419 | 600 | 4800 |
| 15 | मिजोरम | 1134 | 9072 | 425 | 3400 | 249 | 1992 |
| 16 | त्रिपुरा | 642 | 5355 | 2297 | 17961 | 1116 | 8928 |
| 17 | मेघालय | 603 | 4824 | 329 | 2632 | 75 | 600 |
| 18 | असम | 3483 | 9026 | 6028 | 31498 | 2282 | 18256 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 1873 | 12746 | 3528 | 26604 | 1366 | 10928 |
| 20 | झारखंड | 1839 | 12873 | 1300 | 10400 | 1111 | 8888 |
| 21 | ओडिशा | 2876 | 17629 | 3029 | 20392 | 2399 | 19192 |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 1277 | 9496 | 1598 | 12856 | 1463 | 11704 |
| 23 | मध्य प्रदेश | 1979 | 16497 | 1940 | 15520 | 1804 | 14432 |
| 24 | गुजरात\* | 1419 | 14960 | 1386 | 11629 | 1876 | 15008 |
| 25 | महाराष्ट्र\*\* | 2497 | 20161 | 2325 | 17799 | 3329 | 26632 |
| 26 | आंध्र प्रदेश | 642 | 7740 | 1357 | 14148 | 1527 | 12216 |
| 27 | तेलंगाना | 660 | 7761 | 664 | 6445 | 1190 | 9520 |
| 28 | कर्नाटक | 2140 | 17284 | 3575 | 30286 | 2115 | 16920 |
| 29 | गोवा | 91 | 500 | 90 | 660 | 50 | 400 |
| 30 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 31 | केरल | 1369 | 9653 | 1584 | 13068 | 1347 | 10776 |
| 32 | तमिलनाडु | 2463 | 20836 | 2941 | 25764 | 4095 | 32760 |
| 33 | पुडुचेरी | 65 | 447 | 66 | 699 | 44 | 352 |
| 34 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 119 | 293 | 195 | 1398 | 218 | 1744 |
|  | कुल | **44340** | **323362** | **52912** | **407840** | **48398** | **387182** |

# पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित \* दमन और दीव सहित

\*\* दादरा और नगर हवेली सहित

पिछले तीन वर्ष के दौरान **वर्कशेड स्कीम** के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र** | **2015-16** | **2016-17 (अ.)** | **2017-18 (अ.)** |
| 1 | दिल्ली | 0 | 0 | 0 |
| **2** | जम्मू और कश्मीर | **0** | **0** | **0** |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 20 | 120 |
| 4 | हरियाणा | 55 | 220 | 51 |
| 5 | चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) | 10 | 20 | 65 |
| 6 | राजस्थान | 10 | 115 | 0 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 20 | 20 | 20 |
| 8 | छत्तीसगढ़ | 236 | 120 | 0 |
| 9 | उत्तराखंड | 25 | 25 | 0 |
| 10 | उत्तर प्रदेश | 310 | 1385 | 1300 |
| 11 | कर्नाटक | 0 | 115 | 380 |
| 12 | तमिलनाडु | 57 | 70 | 100 |
| 13 | तेलंगाना | 0 | 65 | 80 |
| 14 | आंध्र प्रदेश | 50 | 200 | 113 |
| 15 | महाराष्ट्र | 34 | 45 | 20 |
| 16 | केरल | 25 | 280 | 245 |
| 17 | गुजरात | 50 | 200 | 0 |
| 18 | गोवा | 0 | 0 | 0 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 140 | 100 | 100 |
| 20 | बिहार | 0 | 20 | 0 |
| 21 | झारखंड | 30 | 50 | 0 |
| 22 | ओडिशा | 25 | 80 | 80 |
| 23 | असम | 193 | 183 | 170 |
| 24 | नागालैंड | 0 | 0 | 30 |
| 25 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 |
| 26 | मणिपुर | 0 | 0 | 0 |
| 27 | मेघालय | 0 | 0 | 0 |
| 28 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 |
| 29 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 |
| 30 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | | **1270** | **3333** | **2874** |

अ.-अनंतिम

**अनुबंध-II**

दिनांक 19.12.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1081 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-**II**

वर्तमान में देश में पॉलि वस्त्र तथा सोलर वस्त्र कारीगरों सहित खादी कारीगरों की राज्य/संघ राज्यवार क्षेत्रवार संख्या

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र | कारीगरों की संख्या |
| **1** | **जम्मू-कश्मीर** | **21976** |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | 3426 |
| 3 | पंजाब | 5053 |
| 4 | संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ | 54 |
| 5 | हरियाणा | 57160 |
| 6 | दिल्ली | 1180 |
| 7 | राजस्थान | 28527 |
| 8 | उत्तराखंड | 17936 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 132336 |
| 10 | छत्तीसगढ़ | 7264 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 4245 |
| 12 | नागालैंड | 295 |
| 13 | अरुणाचल प्रदेश | 31 |
| 15 | मणिपुर | 143 |
| 16 | मिजोरम | 14 |
| 17 | मेघालय | 107 |
| 18 | असम | 5083 |
| 19 | बिहार | 72050 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 33717 |
| 21 | झारखंड | 1807 |
| 22 | ओडिशा | 5272 |
| 23 | गुजरात | 18555 |
| 24 | महाराष्ट्र | 3404 |
| 25 | आंध्र प्रदेश | 10367 |
| 26 | तेलंगाना | 2380 |
| 27 | कर्नाटक | 28252 |
| 28 | केरल | 14331 |
| 29 | तमिलनाडु | 19814 |
| 30 | पुडुचेरी | 465 |
| **कुल** | | **495244** |

खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र से राज्यवार संचयी रोजगार

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **व्यक्ति** (लाख में) |
| **1** | **जम्मू और कश्मीर** | **3.56** |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | 2.82 |
| 3 | पंजाब | 4.16 |
| 4 | चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) | 0.24 |
| 5 | हरियाणा | 4.33 |
| 6 | दिल्ली | 0.34 |
| 7 | राजस्थान | 10.67 |
| 8 | उत्तराखंड | 1.59 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 19.00 |
| 10 | छत्तीसगढ़ | 1.85 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 5.12 |
| 12 | सिक्किम | 0.26 |
| 13 | अरुणाचल प्रदेश | 0.18 |
| 14 | नागालैंड | 0.87 |
| 15 | मणिपुर | 1.02 |
| 16 | मिजोरम | 1.17 |
| 17 | त्रिपुरा | 1.07 |
| 18 | मेघालय | 0.58 |
| 19 | असम | 5.26 |
| 20 | बिहार | 4.79 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 10.72 |
| 22 | झारखंड | 0.86 |
| 23 | ओडिशा | 4.56 |
| 24 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.30 |
| 25 | गुजरात\* | 2.86 |
| 26 | महाराष्ट्र\*\* | 10.15 |
| 27 | गोवा | 0.20 |
| 28 | आंध्र प्रदेश | 5.77 |
| 29 | तेलंगाना | 4.31 |
| 30 | कर्नाटक | 6.47 |
| 31 | लक्षद्वीप द्वीप समूह | 0.01 |
| 32 | केरल | 5.93 |
| 33 | तमिलनाडु | 19.23 |
| 34 | पुडुचेरी | 0.10 |
|  | **कुल** | **140.35** |

\* दमन और दीव सहित \*\* दादरा और नगर हवेली सहित

केवीआईसी के माध्यम से स्फूर्ति से लाभान्वित कारीगरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र | कारीगरों की संख्या |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 761 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 225 |
| 4 | असम | 0 |
| 5 | बिहार | 750 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 989 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 0 |
| 9 | दमन और दीव | 0 |
| 10 | दिल्ली | 0 |
| 11 | गोवा | 0 |
| 12 | गुजरात | 498 |
| 13 | हरियाणा | 829 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 0 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 0 |
| 16 | झारखंड | 1731 |
| 17 | कर्नाटक | 2284 |
| 18 | केरल | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1783 |
| 21 | महाराष्ट्र | 1503 |
| 22 | मणिपुर | 1066 |
| 23 | मेघालय | 0 |
| 24 | मिजोरम | 0 |
| 25 | नागालैंड | 0 |
| 26 | ओडिशा | 1052 |
| 27 | पुडुचेरी | 0 |
| 28 | पंजाब | 310 |
| 29 | राजस्थान | 400 |
| 30 | सिक्किम | 0 |
| 31 | तमिलनाडु | 954 |
| 32 | तेलंगाना | 0 |
| 33 | त्रिपुरा | 0 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2100 |
| 35 | उत्तराखंड | 252 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 1001 |
| कुल | | 18488 |